रजिस्ट्री सं. डी. एल.—33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 960] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 29, 2006/भाद्र 7, 1928
No. 960] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 29, 2006/BHADRA 7, 1928

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 29 अगस्त, 2006

का.आ. 1373(अ).—केंद्रीय सरकार आवश्यक वस्तु अधिनियम,1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थों से (अनुज्ञापन संबंधी अपेक्षाएं, स्टॉक सीमा और संचलन निर्बंधन) हटाना आदेश, 2002 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ

(1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थों से (अनुज्ञापन संबंधी अपेक्षाएं, स्टॉक सीमा और संचलन निर्बंधन) हटाना (संशोधन) आदेश,2006 है ।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थों से (अनुज्ञापन संबंधी अपेक्षाएं, स्टॉक सीमा और संचलन निर्बंधन) हटाना आदेश, 2002 में क्रय, संचलन, विक्रय, प्रदाय, वितरण या भंडारण के बाबत प्रयुक्त शब्दों या पदों को वस्तुओं अर्थात् गेहूं और दालों के लिए इस आदेश के जारी किए जाने की तारीख से छह मास की अवधि के लिए या आगे आदेश तक, इनमें से जो भी पहले हो, प्रास्थगन में रखा जाएगा ।

3. इस आदेश की कोई बात गेहूं और दालों (साबुत या दली हुई) के राज्य से बाहर स्थानों को परिवहन, वितरण या व्ययन को प्रभावित नहीं करेगी और न ही इन वस्तुओं के आयात को लागू होगी :

परन्तु केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारें आयातकर्ताओं को यह निदेश दे सकेंगी कि वे इन वस्तुओं के स्टॉकों की प्राप्तियों और उनके द्वारा धारित स्टॉकों की घोषणा करें ।

4. विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थों से (अनुज्ञापन संबंधी अपेक्षाएं, स्टॉक सीमा और संचलन निर्बंधन) हटाना आदेश,2002 के अन्य सभी उपबंध ऊपर खंड 2 में वर्णित अवधि के दौरान भी प्रवर्तन में बने रहेंगे ।

[फा. सं. 10/1/2006-ई सी आर एंड ई]

अलका सिरोही, अपर सचिव

पाद टिप्पण : मूल आदेश, भारत के राजपत्र में, आदेश सं. सा.का.नि. 104(अ), तारीख 15 फरवरी,2002 द्वारा प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात् उसमें आदेश सं. सा.का.नि. 490(अ), तारीख 16 जून,2003 द्वारा संशोधन किया गया ।

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Consumer Affairs)

ORDER

New Delhi, the 29th August, 2006

S.O. 1373(E).— In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Removal of (Licensing requirements, Stock limits and Movement Restrictions) on Specified Foodstuffs Order, 2002, namely :-

1. Short title, extent and commencement

(1) This Order may be called the Removal of (Licensing requirements, Stock limits and Movement Restrictions) on Specified Foodstuffs (Amendment) Order, 2006.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. The words or expressions made in respect of purchase, movement, sale, supply, distribution or storage for sale in the Removal of (Licensing requirements, Stock limits and Movement Restrictions) on Specified Foodstuffs Order, 2002 shall be kept in abeyance for commodities namely wheat and pulses for a period of six months from the date of issue of this Order or further order, whichever is earlier.

3. Nothing contained in this Order shall affect the transport, distribution or disposal of wheat and pulses (whole or split) to places outside the State, nor shall it be applicable to import of these commodities :

Provided that the Central or State Governments may direct the importers to declare the receipts of stocks of these commodities, and stocks retained by them.

4. All other provisions of the Removal of (Licensing Requirements, Stock Limits and Movement Restrictions) on Specified Foodstuffs Order, 2002 shall continue to remain in force even during the period mentioned in clause 2 above.

[F. No. 10/1/2006-ECR & E]

ALKA SIROHI, Addl. Secy.

Foot Note: The principal order was published in the Gazette of India, Vide Order number G.S.R. 104(E), dated the 15th February, 2002 and subsequently amended Vide Order number G.S.R. 490(E), dated the 16th June, 2003.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.